न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 79 / 2013

राजस्थान सरकार जरिये अमित शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर ....*प्रार्थी*

बनाम

श्री अरूण अग्रवाल निवासी–सी–22, बी.के.कौल नगर, अजमेर। ....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.05.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी को अप्रार्थी के विरूद्ध अवैध सिलेण्डर के भण्डारण श्रीमती अंजु मेहता पत्नि जसवंत मेहता निवासी रेम्बल रोड, अजमेर की प्राप्त शिकायत पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रार्थी मय प्रवर्तन निरीक्षक दल एवं अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहूॅच कर जांच करने पर मकान नं0 सी–22, बी.के.कौल नगर के बाहरी हिस्से में सीमेन्ट की चद्दर से आवरित जालीदार दरवाजा युक्त खुले स्थान पर जमीन पर छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डर चैन एवं ताले से बॅधे हुए पाये गये। मकान में जाने की सीढियों के चेनल गैट पर ताला लगा हुआ था। प्रथम तल के बाहरी हिस्से पर लगे अनामिका ब्यूटी पार्लर नामक बोर्ड पर लिखे मोबाईल नं0 पर फोन करने पर अप्रार्थी की पत्नी से वार्ता हुई जिन्हें जानकारी देते हुए अप्रार्थी को शीघ्र मौके पर पहूॅचने हेतु कहे जाने के उपरान्त भी काफी इंतजार करने के बाद भी अप्रार्थी या उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। शिकायत के साथ प्राप्त आवास के चार चित्र, वक्त जांच मौके पर पाये गये आई.ओ.सी कम्पनी के छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों एवं अप्रार्थी की पत्नि को सूचित किये जाने उपरान्त भी किसी का मौके पर उपस्थित होकर जांच में सहयोग नहीं करना स्पष्ट करता है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का व्यवसाय किया जाता है। अतः एस.के.एम.होम एप्लायन्स गैस एजेन्सी, अजमेर के प्रतिनिधि श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह चौहान निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर को मय सिलेण्डर तौल कांटे मौके पर बुलावाया कर सिलेण्डरों को चैन से खोलकर तौल करवाया गया। सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	सिरियल नम्बर	टीयर वेट कि.ग्राम में	ग्रास वेट कि.ग्रो. में	नेट वेट कि. ग्राम में
1.	आई.ओ.सी.	45910	19.2	38.100	18.900
2.	आई.ओ.सी.	अपठनीय	19.5	38.100	18.600
3.	आई.ओ.सी.	413145	19.3	38.400	19.100
4.	आई.ओ.सी.	1101	19.8	39.100	19.300
5.	आई.ओ.सी.	186523	19.6	40.400	20.800
6.	आई.ओ.सी.	95731	19.9	38.500	18.600

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

मौके पर भण्डारित आई.ओ.सी. कम्पनी के छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों में शुद्ध रूप से 115.03 किलो गैस भरी होना जाहिर हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसाय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख, 4(2), 6 व 7 (ग) व राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लघन है, साथ ही एक समय में 100 किलो से अधिक मात्रा में एल.पी.जी. का भण्डारण गैस रूल्स 1981 के छूट के क्लॉज 3 (c)(1) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ही मैसर्स एस.के.एम. होम एप्लायन्स गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह चौहान निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर को सुपुर्दगी पर दिया जाकर सुपुर्दगीनामा पृथक से लिखवाया गया। अतः कब्जेराज लिये गये छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दौराने सुनवाई अप्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि जिला रसद अधिकारी, अजमेर को अप्रार्थी के विरूद्ध अवैध सिलेण्डर के भण्डारण की प्राप्त शिकायत पर उनके निर्देशानुसार प्रार्थी मय प्रवर्तन निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहूँच कर जांच करने पर मकान नं0 सी–22, बी.के. कौल नगर के बाहरी हिस्से में सीमेन्ट की चद्दर से आवरित खुला स्थान जिस पर जालीदार दरवाजा था, पर जमीन पर छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डर चैन एवं ताले से बँधे हुए पाये गये। मकान में जाने की सीढियों पर चेनल गैट पर ताला लगा हुआ था। प्रथम तल के बाहरी हिस्से पर लगे अनामिका ब्यूटी पार्लर नामक बोर्ड पर लिखे मोबाईल नं0 पर फोन करने पर अप्रार्थी की पत्नी से वार्ता हुई जिन्हें जानकारी देते हुए अप्रार्थी को शीघ्र मौके पर पहॅूचने हेतु कहा जाने के बावजूद काफी इंतजार करने के बाद भी अप्रार्थी या उनका कोई प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। शिकायत के साथ प्राप्त आवास के चार चित्र एवं वक्त जांच मौके पर पाये गये आई.ओ.सी कम्पनी के छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों एवं अप्रार्थी की पत्नि को सूचित किये जाने उपरान्त भी किसी का मौके पर उपस्थित होकर जांच में सहयोग नहीं करना अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का व्यवसाय किया जाना स्पष्ट करता है। अतः एस.के.एम.होम एप्लायन्स गैस एजेन्सी, अजमेर के प्रतिनिधि श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह चौहान निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर को मय सिलेण्डर तौल कांटे मौके पर बुलवा कर सिलेण्डरों को चैन से खोलकर तौल करवाने पर मौके पर भण्डारित आई.ओ.सी. कम्पनी के छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों में शुद्ध 115.03 किलो होना जाहिर हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसाय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) ख, 4(2), 6 व 7 (ग) व राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लघन तथा एक समय में 100 किलो से अधिक मात्रा में एल.पी.जी. का भण्डारण गैस रूल्स 1981 के छूट के क्लॉज 3 (c)(1) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ही मैसर्स एस.के.एम. होम

जिला कलक्टर
अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

एप्लायन्स गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री श्रवण सिंह चौहान निवासी तेजा चौक, कोटडा, अजमेर को सुपुर्दगी पर दिये गये। अतः कब्जेराज लिये गये आई.ओ.सी. कम्पनी छः व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र कथन है कि वक्त जांच अप्रार्थी अपने व्यवसायिक कार्य से बाहर गया हुआ था। अप्रार्थी पिछले 3–4 वर्षो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का कार्य करता है, वह अपनी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से अपने वाहन द्वारा उपभोक्ता द्वारा बताये गये स्थान पर पहूँचाने का कार्य करता है। इस हेतु उसके पास लाईसेन्स भी है तथा अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस कनेक्शन भी ले रखें है। इस कार्य से अप्रार्थी अपनी परिवार का भरण पोषण करता है। कार्यवाही वाले दिन भी अप्रार्थी द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा के पुत्र कृष्णकान्त के विवाह हेतु व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मंगवाये थे उनको धर्मशाला दूसरे दिन दोपहर में मिलने वाली थी, इस कारण सिलेण्डर घर पर ही रख दिये गये थे। श्रीमती अंजु मेहता पत्नी श्री जसवन्त मेहता के मकान में प्रार्थी किरायेदार है, जो कि अप्रार्थी से द्वेषता रखती है तथा येन केन प्रकारेण किरायाधीन परिसर को खाली करवाना चाहती है। इस कारण उसे परेशान करने की नियत से मौके का फायदा उठाते हुए झूठी शिकायत की गई है। श्रीमती अंजु मेहता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध किराया अधिकरण के समक्ष 2–3 मुकदमे पेश कर रखें है जो विचाराधीन है, जिसमें सफलता मिलने की संभावना नहीं है। अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा एवं आर्थिक नुकसान पहँचाने के इरादे से फॅसाया गया है। अतः जब्त शुदा 6 व्यवसायिक सिलेण्डर अप्रार्थी दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें तथा अप्रार्थी को दोषमुक्त करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस एवं अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के आवास से आई.ओ.सी कम्पनी के छः व्यवसायिक सिलेण्डर जप्त किये गये है। इस बाबत अप्रार्थी का कहना है कि उसके पास लाइसेन्स है, तथा किरायाधीन आवास खाली कराने हेतु हैरान परेशान एवं आर्थिक नुकसान पहूँचाने की नियत से द्वेषता पूर्वक की गई शिकायत की ठोस जांच किये बिना अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी को साक्ष्य/सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय करे व कार्यवाही योग्य प्रकरण पाये जाने पर ठोस आधार के पुनः प्रस्तुत करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/05/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner